प्रेस नोट 01- दिनांक 16.02.2024
थाना बांगरमऊ,जनपद उन्नाव ।

• दो वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 16.02.2024 को उ0नि0 श्री विनोद कुमार व उ0नि0 श्री सुरेश सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. ब्रजेश कुमार पुत्र नत्था निवासी ग्राम ताजपुर थाना बांगरमऊ, उन्नाव सम्बन्धित केश नम्बर 1977/16 बनाम नत्था , अ0सं0 841/13 सम्बन्धित न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम उन्नाव , 2. बब्लू पुत्र वासिद निवासी मो0 गढ़ी कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव सम्बन्धित केश नम्बर 3744/05, अ0सं0 764/2005 राज्य बनाम बब्लू धारा 3/25 आयुध अधिनियम सम्बन्धित न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम उन्नाव को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

i. ब्रजेश कुमार पुत्र नत्था निवासी ग्राम ताजपुर थाना बांगरमऊ, उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष
ii. बब्लू पुत्र वासिद निवासी मो0 गढ़ी कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 33 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

i. उ0नि0 श्री विनोद कुमार
ii. उ0नि0 श्री सुरेश सिंह
iii. हे0का0 शाहजहाँ खाँ
iv. का0 रामनिवास

UNNAO POLICE

प्रेस नोट 02- दिनांक 16.02.2024
थाना बीघापुर,जनपद उन्नाव।

- **हाइवे किनारे खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाला अंतर्जनपदीय गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे**
- **हाइवे पर ढाबों के पास खड़े ट्रकों को बनाता था निशाना**
- **थाना बीघापुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान तीन अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से एक जाइलो कार, 3 जरिकैनों में कुल 90 लीटर डीजल व 2 जरिकैन खाली, 02 तमंचा मय 05 जिंदा कारतूस बरामद**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा हाइवे किनारे खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 16.02.2024 को उ0नि0 श्री श्रीशचन्द्र व उ0नि0 श्री लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय मय हमराह पुलिस द्वारा रावतपुर क्रासिंग तिराहे पर सदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग दौरान जाइलो कार सफेद रंग कार नं0 नं0 UP 78 OK 9190 से अभियुक्तगण 1. अभिमन्यु सिंह उर्फ मन्ना पुत्र राजेन्द्र निवासी सदानंद नगर अहीरवां चकेरी थाना चकेरी जिला कानपुर नगर उम्र करीब 28 वर्ष 2.आशीष उर्फ भूरई पुत्र शिवमोहन निवासी ग्राम बिसरौली थाना बकेवर जिला फतेहुपर उम्र करीब 24 वर्ष 3.आकाश गौतम पुत्र स्व0 देशराज गौतम निवासी ग्राम अहीरवां थाना चकेरी जिला कानपुर नगर उम्र करीब 29 वर्ष को हिरासत में लिया गया। अभियुक्त अभिमन्यु सिंह की जामा तलाशी से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस एक मोबाइल मोट्रोला कम्पनी का बरामद हुआ, अभियुक्त आशीष उर्फ भुरई की जामा तलाशी से एक अदद तमंचा 12 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस व एक मोबाइल ओपो बरामद

हुआ, अभियुक्त आकाश गौतम के कब्जे से एक मोबाइल ओपो बरामद हुआ तथा जाइलो कार से 3 जरिकैनों में कुल 90 लीटर डीजल व 2 जरिकैन खाली, पेचकस, प्लास, प्लास्टिक के पाइप आदि बरामद किये गये। तीनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और कानपुर में रोड के किनारे होटलों के आगे सुनसान जगह पर खड़े ट्रकों व गाड़ियों की टंकी से इसी पेचकस व प्लास से लॉक तोड़कर प्लास्टिक की नली डालकर जरिकेनों मे भरते है तथा कार में लाद लेते है और चले जाते तथा कार में गलत नंबर प्लेट लगाकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज भी हम लोग योजना बद्ध तरीके से हम लोग गाड़ी से कानपुर से चलकर उन्नाव लालगंज मार्ग पर बदरका अंडरपास से निर्माणाधीन उन्नाव लालगंज हाइवे कट पर एक ट्रक खड़ा हुआ देखा जिसका ड्राइवर ट्रक मे अकेला था व सो रहा था तभी हम लोगो ने गाड़ी ट्रक के बगल लगाकर ट्रक के टैंक का ताला पेचकस व प्लास से तोड़कर तेल निकाल रहे थे और 3 जरिकन भरकर अपनी जाइलो कार मे रख लेने के बाद चौथे जरिकन का ढक्कन खोलकर भरना चाहा तभी ड्राइवर केबिन मे कुछ खटपट की आवाज सुनाई पड़ी जिससे हम लोग चौकन्ने हो गये और गाडी मे तुरन्त बैठकर वहां से भाग लिये, उसके बाद हम लोग पुरवा रोड़ की तरफ काम करने जा रहे थे, जहां आप लोगो ने रास्ते में हमे पकड़ लिया। अभियुक्त अभिमन्यु सिंह उर्फ मन्ना ने बताया कि महिन्द्रा जाइलो कार मेरे ही नाम है, जिसका वाहन संख्या UP 78 CK 9190 है, बदलकर C की जगह O कर दिया है, जिससे नंबर प्लेट पर UP 78 OK 9190 लिखा है। तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार करते हुए मु0अ0सं0 25/24 धारा 41/411/401/420/467/468 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा बरामद जाइलो कार को धारा 207 MV ACT में सीज किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. अभिमन्यु सिंह उर्फ मन्ना पुत्र राजेन्द्र निवासी सदानंद नगर अहीरवां चकेरी थाना चकेरी जिला कानपुर नगर उम्र करीब 28 वर्ष
2. आशीष उर्फ भूरई पुत्र शिवमोहन निवासी ग्राम बिसरौली थाना बकेवर जिला फतेहुपर उम्र करीब 24 वर्ष
3. आकाश गौतम पुत्र स्व0 देशराज गौतम निवासी ग्राम अहीरवां थाना चकेरी जिला कानपुर नगर उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी-

1.एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस
2.एक अदद तमंचा 12 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस
3.तीन मोबाइल
4.एक जाइलो कार
5. 03 जरिकैनों में कुल 90 लीटर डीजल व 2 जरिकैन खाली, पेचकस, प्लास, प्लास्टिक के पाइप आदि

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

अभिमन्यु सिंह उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 82/2020 धारा 41/102/401/411/420/467/468 IPC थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर

आशीष यादव उर्फ भुरई उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 489/22 धारा 379/411/420/465/467/468/471 IPC थाना घाटमपुर कानपुर नगर

2. मु0अ0सं0 493/22 धारा 09 आयुध अधि0 थाना घाटमपुर कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.थानाध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार तिवारी

2.उ0नि0 श्रीशचन्द्र

3.उ0नि0 लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय

4.हे0का0 देवेश कुमार

5.हे0का0 अभिषेक अवस्थी

6.हे0का0 चन्द्र प्रकाश तिवारी

7.का0 विकास कुमार

8.का0 चालक सरनाम सिंह

UNNAO POLICE

प्रेस नोट 03- दिनांक 16.02.2024
थाना गंगाघाट,जनपद उन्नाव।

• दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.02.2024 को थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 56/2024 धारा 363/366भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियोग से संबन्धित पीड़िता/अपहृता को सकुशल बरामद किया गया तथा दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भा0दं0वि0 व ¾ पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गई । आज दनांक 16.02.2024 को थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमन पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम भिटवा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष को महदिनवा पानी की टंकी मोड़ आजाद मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

1.अमन पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम भिटवा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राजेश कुमार सिंह
2. का0 अमित कुमार